दिनांक	
7/8/19	आज यह दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती वकील श्री राजेन्द्र सिंह आर्य ने पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेज़ात् का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अप्रार्थी की जाकर पत्रावली दिनांक 29.8.19 को पेश हो। [signature]
29/8/19	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। तहसीलदार नवलगढ़ से जवाब दावा पेश किया। पत्रावली दिनांक 2/9/2019 को पेश हो। [signature]
2.9.19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी, प्रतिवादीगण तथा [illegible] उप०। रिपोर्ट पटवारी उपलब्ध प्रस्तुत। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। दावा वादी स्वीकार किया जाकर निर्णय [illegible] के [illegible] 200 रु० [illegible] पर्चा दिया जावे [illegible] होकर [illegible] से [illegible] कार्यवाही [illegible] निर्णय [illegible] के [illegible]। [signature] 2-9-19

(मुरारी लाल शर्मा)
SDO नवलगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 144/2019

रतनलाल पुत्र बालाराम कौम जाट निवासी ढाणी खुद की तन राजस्व ग्राम झाझडिया की ढाणी पटवार हल्का बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू —वादी

बनाम

1. शीशराम
2. चन्द्रगीराम
3. दलीप
4. मामराज पुत्रान बालाराम कौम जाट निवासीगण ढाणी खुद की तन राजस्व गाम झाझडिया की ढाणी पटवार मण्डल बिरोल तहसील नवलगढ
5. सजना पसुत्री बालाराम पत्नी रामप्रताप कौकम जाट निवासी हिरणा तहसील फतेहपुरा जिला सीकर
6. रामस्वरूप
7. निवास
8. विनोद पुत्रान सुभाष जाति जाट निवासी नवलगढ सीकर रोड सीमा पर कस्बा नवलगढ तह0 नवलगढ
9. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ
10. तहसीलदार नवलगढ लैण्ड हौल्डर तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

दावाः घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड

वकील वादीगण—श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य
वकील प्रतिवादीगण —श्री ताराचन्द मीणा

निर्णय

निर्णय तिथि 02.09.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 8 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वंशावली के अनुसार हणमाराम के वारिस बालाराम है। बालाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 8 हैं। भूमि ख.न. 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213 व 916 किता 7 कुल रकबा तादादी 7.84 है0 राजस्व ग्राम झाझडियो की ढाणी पटवार हल्का बिरोल में स्थित है जिसमें वादी मौजदूा 39/1168 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त में है।

वादी का सही नाम रतनलाल पुत्र बालाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में इसका गलत नाम ममुनााम पुत्र बालाराम है इस गलत रिकार्ड की जानकारी वादी को होने पर वादी ने दिनांक 11.07.2019 को अपने रिकार्ड/जमाबंदी की नकल ली जिस पर गलत रिकार्ड की जानकारी वादी को हुई जिस कारण यह रिकार्ड दुरूस्ती का दावा वादी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पडा है। वादी का सम्पूर्ण रिकार्ड जिसमें बैंक का खाता, सहकारी किसान कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड महात्मा गांधी नरेगा जोब कार्ड, शिक्षा रिकार्ड वगैरह तमाम में वादी का नाम रतनलाल पुत्र बालाराम है जो सही नाम है राजस्व रिकार्ड में गलत नाम चलने से वादी के अधिकारों पर कुठाराघात होता है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

वादी स्व0 बालाराम का जायन्दा पुत्र है स्व0 बालाराम के वादीसति कुल 5 भाई व 2 बहिने है जिनमें बहिन शिमला का स्वर्गवास हो चुका है एवं सजना जीवित है। वादी की माता स्व0 श्रीमती धापादेवी का स्वर्गवास हुये भी 7–8 महिनसे हो चुके हैं जनका अभी तक नामा0 नही दर्ज किया गया है। वादी की माता स्व0 श्रीमती धापादेवी पत्नी बालाराम के नाम से भी उपरोक्त वर्णित भूमि में 39/1168 हिस्सा रहा है जिसके हकदार भी अब वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 8 अपने अपने हक हिस्से अनुसार है जिसमें वादी का 39/1168 में हिस्सा 1/7 यानि 39/8176 बनता है प्रत्येक वादीगण नं. 1 लगायत 5 का अलग अलग है प्रतिवादीगण नं. 6 लगायत 8 का शामिल में 39/8176 हिस्सा है। प्रतिवादीगण नं. 6 लगायत 8 की स्व0 धापादेवी जो वादी की मता है सगी नानी लगती थी इस प्रकार वादी की माता के हिस्से की भूमि में वादी के हक व हिस्से की उदघोषणा कर उपरोक्त बताये अनुसार धापादेवी पत्नी बालाराम के स्थान पर 39/8176 का खातेदार वादी को एवं इतनी ही भूमि हिस्से का खातेदार प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 को अलग अलग एवं इतने ही हिस्से की भूमि का खातेदार प्रतिवादीगण नं. 6 लगायत 8 को शामिल मे किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करनी भी न्यायहित में आवश्यक है। विवादित भूमि मोजूदा प्रतिवादी नं. 9 के यहां रहन है जिस कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया है जो बदस्तूर रहन रखे जाने में वादी का कोई आपति नही है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वादी इस बैंक में जाकर इस रहन खाते में पना नाम मुनाराम पुत्र बालाराम के स्थान पर दुरूस्त करवा लेगा।

बिनायमुखासमत दावा हाज वास्ते घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड दिनांक 11.07.2019 को वीद ने कम्प्यूटर से अपनी खाते की जमाबंदी की नकल ली तो उसे गलत रिकार्ड की जानकारी हुई जिस पर दिनकि 30.07.2019 को पटवारी हल्का से जमाबंदी की सत्यप्रतिलिपि ली के कारण बमुकाम ग्राम झाझडियों की ढाणी अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में पैदा हुआ।

अतः वाद पेश कर इस्तदुआ है कि वाद वादी डिक्री फरमाया जावे कि जमाबंदी संवत 2075 से 2078 खाता सं0 नया 122 ग्राम झाझडियों की ढाणी पटवार हल्का बिरोल तहसील नवलगढ में काश्तकार का नाम में कम संख्या 13 पर मुनाराम पुत्र बालाराम हिस्सा 39/1168 जाति जाट सा.देह खातेदार दर्ज है उसके स्थान पर रतनलाल पुत्र बालाराम हिस्सा 39/1168 सा.देह खातेदार दुरूस्त किया जावे।

जमाबंदी के कम सं0 9 पर धापादेवी पत्नी बालाराम जाति जाट सा.देह खातेदार हिस्सा 39/1168 दर्ज है उसके स्थान पर वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 का नाम दर्ज कर इनका प्रत्येक का हिस्सा 39/8176 अलग अलग दर्ज यिका जावे एवं प्रतिवादीगण नं. 6 लगायत 8 के नाम से शामिल में उनका हिस्सा 39/8176 एक जगह दर्ज किया जाकर खातेदारी की उदघोषणा कर खाता दर्ज किया जावे। तदनुसार प्रतिवादी नं. 10 को रिकार्ड दुरूस्ती के लिए आदेशित किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 6 व 8 की और से वकील श्री ताराचन्द मीना का वकालतनामा व इकबालिया जबाबदावा पेश हुआ। वकील वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी नं. 7 निवास मौजूदा में विदेश में है। दावा केवल वादी का गलत नाम दुरूस्ती का ही है जिससे इस प्रतिवादी नं. 7 के अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है। प्रतिवादी नं. 10 की ओर से रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त हो चुकी है तथा प्रतिवादी नं. 9 औपचारिक पक्षकार होने से बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

वाद में मुख्य रूप से वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम मुनाराम पुत्र बालाराम कौम जाट के स्थान पर रतनलाल पुत्र बालाराम कोम जाट दुरूस्त करवाना चाहा गया है। वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा फोटो प्रति एसबीआई शाखा नवलगढ की पासबुक, सहकारी किसान कार्ड, आधार कार्ड,परिवार राशनकार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह ई कार्ड, नरेगा जोबकार्ड, तथा टीसी विद्यालय में वादी का नाम रतनलाल पुत्र बालाराम नाम अंकित होना स्पष्ट है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित किया गया है कि मुन्ना पुत्र बालाराम का सही नाम रतनलाल पुत्र बालाराम है और प्रार्थी द्वारा पेश साक्ष्य दस्तावेजात में भी पाया कि प्रार्थी का सही नाम रतनलाल पुत्र बालाराम है। अतः मुन्ना पुत्र बालाराम के स्थान पर रतनलाल पुत्र बालाराम किया जाना उचित है।

जमाबंदी ग्राम झाझडियों की ढाणी संवत 2075–78 के ख.न. 1208/0.06, 1209/0.03, 1210/0.02, 1211/0.09, 1212/0.04, 1213/5.32, 916/0.28 किता 7 कुल रकबा 5.84 है0 की खातेदारी के कम संख्या 13 पर मुनाराम पुत्र बालाराम हि0 39/1168 जाति जाट सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है राहिन हिस्सा 39/1168 पूर्ण खाता बडौदा राज0 ग्रामीण बैंक शाखा झाझड दर्ज है। वादी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

द्वारा केवल अपना नाम दुरूस्त करवाने की इस्तदुवा चाही गई जिसके क्रम में प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादी का सही नाम रतनलाल पुत्र बालाराम कोम जाट होना साबित है। अतः वाद न्यायोचित होने से वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम झाझडियों की ढाणी पटवार हल्का बिरोल के खाता सं0 122 के ख.न. 1208/0.06, 1209/0.03, 1210/0.02, 1211/0.09, 1212/0.04, 1213/5.32, 916/0.28 किता 7 कुल रकबा 5.84 है0 में मुनाराम पुत्र बालाराम कोम जाट हि0 39/1168 के स्थान पर रतनलाल पुत्र बालाराम कोम जाट हि0 39/1168 को रिकार्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा सम्पूर्ण हिस्से का बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नवलगढ के रहन दर्ज की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 02.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
सत्यमेव जयते
नवलगढ

Scanned by CamScanner